| | राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | चैत्र 11, बुधवार, शाके 1937–अप्रेल 1, 2015 *Chaitra 11, Wednesday, Saka 1937–April 1, 2015* | |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 1, 2015**

**संख्या प. 2 (24) विधि/2/2015**:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

## राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015

**(2015 का अधिनियम संख्यांक 6)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अप्रेल, 2015 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

**1. संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2015 है।

**10. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 21 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 21 की विद्यमान उप-धारा (2) हटायी जायेगी।

**अध्याय 5**

**राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 में संशोधन**

**11. 2004 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम सं. 13) की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक रुपया" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**अध्याय 6**

**राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन**

**12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.-** राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की अनुसूची में,-

(i) अनुच्छेद 3 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) अनुच्छेद 4 में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "दस रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीस रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.1 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उधार या ऋण की रकम का 0.15 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(viii) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ख) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ix) अनुच्छेद 44 के खण्ड (ग) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(x) अनुच्छेद 44 के खण्ड (घ) में, स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "एक सौ रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(xi) अनुच्छेद 48 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

| | |
|---|---|
| "(क) जहां निर्मुक्ति विलेख कुटुम्ब के किसी सदस्य के द्वारा या पक्ष में निष्पादित किया गया हो। | पांच सौ रुपये। |

स्पष्टीकरण.-'कुटुम्ब के सदस्य' से पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई, बहिन, पूर्वमृत भाई की पत्नी या संतानें, पूर्वमृत बहिन का पति या संतानें, पूर्वमृत पुत्र की पत्नी और पूर्वमृत पुत्र या पूर्वमृत पुत्री की संतानें अभिप्रेत हैं।"।

## अध्याय 7

## राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 में संशोधन

**13. 2014 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.-** राजस्थान वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम सं. 14) की धारा 56 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट करे," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर," के पूर्व अभिव्यक्ति "ऐसे व्यवहारी द्वारा" अन्त:स्थापित की जायेगी।

दीपक महेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTIG) DEPARTMENT**

**(GROUP-II)**

Notification

**Jaipur, April 1, 2015**

**No. F. 2 (24) Vidhi/2/2015.**-In pursuance of Clause (3) of Articale 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in Rajasthan Gazett of the Following translation in English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2015(2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 6):-

*(*Authorized EnglishTranslation*)*

**THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2015**

[Received the assent of the Governor on the 1st day of April, 2015]

A

Act

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999, the Rajasthan Tax on Luxuries (In Hotels and Lodging Houses) Act, 1990, the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Finance Act, 2014 in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2015-16 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I**

**PRELIMINARY**

**1. Short title.**- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2015.

**2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.**- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of

**8. Insertion of section 4A, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** After the existing section 4 and before the existing section 5 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**4A. Payment of lump sum in lieu of tax.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may provide an option for payment of tax in a lump sum in respect of luxuries provided in such marriage hall on such terms and conditions as may be notified by the State Government.

(2) The tax in lump sum specified in sub-section (1) shall not exceed the limit of maximum tax liability as provided in sub-section (1) of section 4.".

**9. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** For the existing sub-section (1) of section 16 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every registered hotelier shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee, not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the Luxury Tax Officer or to the officer authorized by the Commissioner.".

**10. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 9 of 1996.-** The existing sub-section (2) of section 21 of the principal Act, shall be deleted.

## CHAPTER V

## AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT FUND ACT, 2004

**11. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 13 of 2004.-** In sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan State Road Development Fund Act, 2004 (Act No. 13 of 2004), for the existing expression "one rupee", the expression "three rupees" shall be substituted.

**Explanation.-**

"family member" means husband, wife, son, daughter, father, mother, brother, sister, wife or children of predeceased brother, husband or children of predeceased sister, wife of a predeceased son and children of a predeceased son or predeceased daughter.".

## CHAPTER VII

## AMENDMENT IN THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2014

**13. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 14 of 2014.-** In sub-section (1) of section 56 of the Rajasthan Finance Act, 2014 (Act No. 14 of 2014), after the existing expression "purchase of such goods" and before the existing expression ", at such rates", the expression "by such dealer" shall be inserted.

दीपक महेश्वरी,

**Principal Sectetary to the Government.**

---

**19**

**Government Central Press Jaipur.**